

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक
फतेहपुर।

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य
राजकीय/असासकीय सहायता प्राप्त/वित्तविहीन
माध्यमिक विद्यालय (बालक/बालिका)
जनपद-फतेहपुर।

पत्रांक/स0प्र0/ 3943-50 /2020-21 दिनांक : 23-1-2021
विषय : सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम संशोधन विधयेक 2020 (सन्दर्भ एकरा नं0-16011/04/2020-
टी0सी0(पार्ट) के माध्यम से भारतीय तम्बाकू निर्यंत्रण कानून को मजबूत करने के लिए समर्थन व्यक्त करने
जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुक्त विषयक के अन्तर्गत में अपर सचिव, (तम्बाकू निर्यंत्रण) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग निर्माण
भवन नई दिल्ली द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम संशोधन विधयेक 2020 (सन्दर्भ एकरा
नं0-16011/04/2020- टी0सी0(पार्ट) के माध्यम से भारतीय तम्बाकू निर्यंत्रण कानून को मजबूत करने के लिए
निर्धारित प्रारूप पर समर्थन व्यक्त किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्नक प्रारूप पर विद्यालय में कार्यरत
अध्यापक/कर्मचारियों के हस्ताक्षर सहित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 27.01.2021 की सायं 04.00 बजे तक
बोर्डल अधिकारी के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : निर्धारित प्रारूप।

भवदीय

(महेन्द्र प्रताप सिंह)
जिला विद्यालय निरीक्षक
फतेहपुर।

पृ0सं0/ तम्बाकू निर्यंत्रण/विविध/ /2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि : विम्बलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01- शिक्षा निदेशक (मा0) 30प्र0 लखनऊ।

02- महाविदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (रज्य तम्बाकू निर्यंत्रण प्रकोष्ठ) 30प्र0 लखनऊ।

03- जिलाधिकारी फतेहपुर।

04- राज्य बोर्डल अधिकारी तम्बाकू निर्यंत्रण कार्यक्रम 30प्र0 लखनऊ।

05- अधिशासी निदेशक वृ0पी0वी0एच0ए0 लखनऊ

06- बोर्डल अधिकारी तम्बाकू निर्यंत्रण प्रकोष्ठ फतेहपुर।

07- समस्त बोर्डल अधिकारी जनपद फतेहपुर को इस निर्देश के साथ कि आप अपने जोब के अन्तर्गत आने वाले
विद्यालयों से संलग्नक प्रारूप पर विद्यालय में कार्यरत अध्यापक/कर्मचारियों के हस्ताक्षर सहित अधोहस्ताक्षरी के
कार्यालय में दिनांक 27.01.2021 की सायं 04.00 बजे तक संकलित सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध
कराना सुनिश्चित करें।

जिला विद्यालय निरीक्षक
फतेहपुर।